फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम:– नसीराबाद

कानाराम वगै0 बनाम महावीर

किस्म मुकदमा :– 212 रा. का. अधि. 1955 प्रकरण संख्या 20 सन् :– 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/2/17	अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देराडू के हाल खसरा नमबर 383 रकबा 0.59 की आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी खातेदारी की है। अप्रार्थी का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार निहित नही है। कन्तु अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में दखलदांजी की जा रही है। अतः अप्रार्थी को पाबंद किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण के तर्को पर मनन किया गया। प्रार्थीगण के कथनों पर विश्वास करते हुये व वाद बहुलता रोकने के उद्देश्य से अप्रार्थी को जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी के मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नही करे। कोई आपत्ति हो तो आगामी तारीख पेशी पर पेश करे। प्रार्थीगण आगामी दिनांक को अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज व आदेश की प्रति तामील का शपथ पत्र आदेश 39 नियम 3 सी.पी.सी. के तहत आवश्यक रूप से पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते इंतजारी तलबी दिनांक 15/3/17 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद	Issued. 18/4 15-3-17
15/3/17	बार एसोसियेशन नसीराबाद के कार्य स्थगन प्रस्ताव के कारण पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 17/5/17 को पेश हो। आदेशानुसार रीडर.	17/5/17 पीठासीन अधिकारी के आज मुख्यालय से बाहर दौरे/अवकाश पर होने/अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त रहने के कारण पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 29.5.17 को पेश हो। आदेशानुसार रीडर
29.5.17	न्याय आपके द्वार अभियान - 2017 लोक अदालत पत्रावली वैमन कोर्ट देराडू से ट्रांसफर्ड थूल वाद का निस्तारण किया जा चुका है अतः पत्रावली प्रेषण शुमार हो का नम्बर से खारिज हो व दाखिल दफ्तर हो। पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट देराडू	